अति-महत्वपूर्ण

श्रीमती मंजिल सैनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद।
श्री दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
श्री विनोद कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक फतेहुपर।
श्री राम प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक , कौशाम्बी

विदित हैं कि अपराधिक विवेचनाओं के उपरान्त सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जाता है, किन्तु देखा जा रहा है कि आरोप पत्र में अपराधी का पूर्व का अपराधिक इतिहास एवं सजायावी का उल्लेख नहीं किया जाता है।

2. आप सहमत होंगे कि यदि आरोप पत्र में अपराधी का अपराधिक इतिहास एवं सजायावी अंकित हो तो मा0 न्यायालय में विचारण के समय अपराधी को सजा दिलाये जाने में काफी सहायक सिद्व हो सकता है।

3. अतएव मैं चाहूँगा कि जनपद में नियुक्त समस्त विवेचनाधिकारियों को कड़े निर्देश दें कि आरोप पत्र में सम्बन्धित अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास एवं सजायावी का अंकन अवश्य किया जाये।

20/5/14

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
इलाहाबाद परिक्षेत्र,इलाहाबाद

अशा0पत्रांकःसीओए/आर-निर्देश(विविध)/2014
दिनांक : इलाहाबाद : मई 20 ,2014

प्रतिलिपिः-पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।